न्यूज़ टुडे

सरकार द्वारा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 {Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957} के तहत भूमि अधिग्रहण पर विचार किया गया है

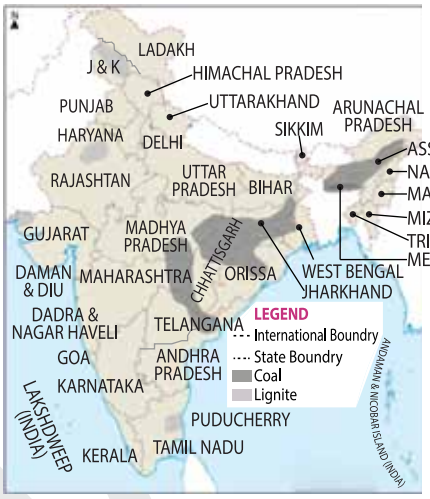

- प्रस्ताव में भूमि अधिग्रहण करना और तत्पश्चात इसे **निजी प्रतिभागियों को पट्टे पर देना शामिल है, ताकि वाणिज्यिक खनन के लिए आवंटित कोयला ब्लॉकों का त्वरित विकास किया जा सके।**
  - वर्तमान में, CBA अधिनियम का प्रयोग कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) जैसी **राज्य के स्वामित्वाधीन कोयला खनन कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि के अधिग्रहण के लिए** किया जाता है।
  - **कोयला परियोजनाओं के समक्ष विद्यमान प्रमुख मुद्दे:** पर्यावरण और वन स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब, भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से संबंधित मुद्दे।
- जून 2020 में, आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में **कोयले के व्यावसायीकरण** की घोषणा की गई थी।
  - इसके तहत सरकार ने वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की थी।
  - वाणिज्यिक खनन, **निजी क्षेत्र को** किसी भी **अंतिम उपयोग प्रतिबंधों के बिना कोयले का व्यावसायिक खनन करने की अनुमति** प्रदान करता है अर्थात वे इसे अपने स्वयं के अंतिम–उपयोग वाले संयंत्रों के लिए प्रयोग कर सकते हैं या पूर्व के कैप्टिव उपयोग मॉडल (स्व–उपयोग) के विपरीत बाजारों में विक्रय कर सकते हैं।
    - कैप्टिव उपयोग मॉडल के तहत, निजी क्षेत्र की फर्मों को **केवल अपने सीमेंट, इस्पात, विद्युत् और एल्यूमीनियम संयंत्रों में उपयोग के लिए** कोयले के खनन की अनुमति दी गई थी अर्थात् वे कोयले का अपने स्वयं के लिए प्रयोग कर सकते थे।
- **वाणिज्यिक कोयला खनन** से देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ती करने, निवेश और कोयला खनन में सर्वोत्तम (best-in-class) तकनीक को आकर्षित करने, आयातों पर निर्भरता कम करने, रोज़गार सृजित करने आदि में सहायता प्राप्त होगी।

जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission: JJM) के तहत जलापूर्ति का मापन और निगरानी की जाएगी

- JJM ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति के वितरण के मापन और निगरानी के लिए एक **स्मार्ट ग्रामीण जलापूर्ति पारितंत्र** निर्मित करने का निर्णय लिया है।
  - आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से **सेवा की गुणवत्ता** सुनिश्चित होगी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को **ग्रामीण जलापूर्ति के स्मार्ट प्रबंधन** की सुविधा प्राप्त होगी।
    - भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार, ग्राम स्तर पर पेयजल आपूर्ति का प्रबंधन ग्राम पंचायतों को करना होता है।
  - इस प्रकार, ग्राम पंचायत या इसकी उप–समिति अर्थात **ग्राम जल और स्वच्छता समिति** पेयजल के प्रबंधन, जल सेवा वितरण, मलिन जल उपचार और पुनः उपयोग के लिए **'स्थानीय सार्वजनिक निकाय (local public utility)'** के रूप में कार्य करने हेतु अधिदेशित है।
- **अन्य उठाए गये कदम इस प्रकार हैं:**
  - JJM ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल सेवा वितरण प्रणाली के मापन और निगरानी के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु एक **तकनीकी विशेषज्ञ समिति (Technical Expert Committee)** का गठन किया है।
  - JJM द्वारा एक **स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम** को विकसित करने हेतु **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) ग्रैंड चैलेंज** का आयोजन किया जा रहा है।
  - जलापूर्ति अवसंरचना का डिजिटलीकरण करने हेतु तकनीकी प्रगतियों (जैसे इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स: IoT, बिग डेटा एनालिटिक्स) का उपयोग किया जा रहा है।
- JJM को राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को **कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन** प्रदान करना है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा भारत में जेल सांख्यिकी (Prison Statistics India) रिपोर्ट, 2019 जारी की गई है

- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - **कैदियों की संख्या:** विभिन्न जेलों में कुल 4,78,600 कैदियों में से 30.11 प्रतिशत दोषसिद्ध (Convicts), 69.05 प्रतिशत विचाराधीन (Undertrial inmates) और 0.67 प्रतिशत कैदी (Detenues) की श्रेणी में हैं।
  - **संरचना:** 21.7 प्रतिशत दोषसिद्ध और 21 प्रतिशत विचाराधीन कैदी अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। 13.6 प्रतिशत दोषसिद्ध एवं 10.5 प्रतिशत विचाराधीन कैदी अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं तथा 16.6 प्रतिशत दोषसिद्ध व 18.7 प्रतिशत विचाराधीन कैदी मुस्लिम हैं।
    - हाशिये पर रहे समूहों को **न्याय प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना** करना पड़ता है तथा **जेलों में उनका अनुपात** जनसंख्या के उनके अनुपात की तुलना में अधिक है।
  - **आयु समूह:** अधिकतम कैदी **18–30 आयु वर्ग (43.4%)** के हैं, इसके पश्चात् **30–50 आयु वर्ग (43.3%) के कैदी** हैं।
  - **शिक्षा:** दसवीं कक्षा से कम शिक्षित (41.6%) हैं, वहीं दसवीं कक्षा से ऊपर परंतु स्नातक से नीचे (21.5%) कैदी हैं।
- NCRB की स्थापना **राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977–1981) और गृह मंत्रालय के कार्य दल (1985)** की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 1986 में की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। इसका प्रमुख कार्य **अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारियों को संग्रहित करना है।**
  - NCRB द्वारा एकत्रित डेटा **साक्ष्य–आधारित नीति (Evidence-based policy making)** निर्माण को सुविधाजनक बनाते हैं और भविष्य के लिए अपराध की रोकथाम करने की रणनीति बनाने में सहायक होते हैं।

8वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन-वित्त मंत्रियों की बैठक (East Asia Summit Economic Ministers' Meeting: EAS-EMM) का आयोजन संपन्न हुआ

- **प्रमुख परिणाम:**
  - **क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं (regional supply chains)** को सुदृढ़ करना, ताकि वे आकस्मिक अवरोधों के प्रति सुनम्य और निम्न सुभेद्य हों तथा सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान कर सकें।
  - सुरक्षित और प्रभावी कोविड–19 टीकों के **समान वैश्विक वितरण को सुनिश्चित करने वाली पहलों** को स्वीकृति प्रदान की गई।
  - **व्यापार और निवेश संवर्धन हेतु** वायरस के प्रसार को रोकने के लिए **प्रत्येक देश द्वारा किए जा रहे प्रयासों को क्षीण किए बिना,** सीमा पार लोगों की आवाजाही (कार्यानुसार आवश्यक) की सुविधा को मान्यता प्रदान की गई।
  - **आसियान और पूर्वी एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia: ERIA)** के योगदान के महत्त्व को स्वीकार किया गया।
  - **आसियान और आसियान–केंद्रित संरचना** का समर्थन किया गया, जो क्षेत्र में महामारी के पश्चात् स्थिति को पुनर्बहाल करने में योगदान दे सकती है।
  - **विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा किए जाने वाले सुधारों** का समर्थन किया गया।
- भारत ने यह स्पष्ट किया कि **आत्मनिर्भर भारत अभियान का आशय एक संरक्षणवादी भारत से नहीं** है। यह भारतीय **उद्योगों को** आकस्मिक आघातों के प्रति लोचशील व अल्प सुभेद्य बनाने हेतु उन्हें और उनकी दक्षताओं एवं क्षमताओं **की संवृद्धि को उन्नत करने** तथा इन उद्योगों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने से संबंधित है।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन **क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्यों** को आगे बढ़ाने के लिए गठित **एशिया–प्रशांत क्षेत्र के 18 देशों का एक मंच** है।

खसरे (Measles) के टीकाकरण के निम्नस्तरीय कवरेज से भारत का पूर्ण टीकाकरण अभियान प्रभावित हुआ है

- **खसरे के टीकाकरण के निम्नस्तरीय कवरेज और पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस (काली खांसी) एवं टेटनस (DPT) जैसे बुनियादी टीकों की अनियमित समय पर दिए जाने वाली खुराक के कारण** भारत में पूर्णतया प्रतिरक्षित (fully-immunised) बच्चों का अनुपात कम हो रहा है (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2017–18 में भारत में **पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का अनुपात** लगभग 60% रहा था।
- **एक बच्चे को पूर्ण प्रतिरक्षित तब माना जाता है, जब** उसे BCG (बैसिले कैलमेट–गुएरिन), पोलियो वैक्सीन की 3 खुराक, DPT वैक्सीन के 3 शॉट्स और खसरे का टीका दिया जाता है। बच्चों को ये सभी टीके उचित समय अंतराल पर उनके प्रथम वर्ष के भीतर ही दिए जाते हैं, जिसमें खसरे का टीकाकरण अंतिम होता है।
- **मुख्य कारण:**
  - **मिशन इन्द्रधनुष के प्रभाव का कम होना:** इस अभियान को अधिक जिलों तक विस्तारित किया गया है, जबकि जिन बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है या जिनका आंशिक टीकाकरण हुआ है, उन बच्चों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है।
    - इस योजना को वर्ष 2014 में दो वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए **पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु** प्रारंभ किया गया था।
  - **मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा/ASHAs)** को अत्यल्प भुगतान किया जाता है।
  - **स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सीमित ज्ञान और प्रशिक्षण के कारण** डेटा को ट्रैक करने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म तथा मोबाइल–आधारित एप्लीकेशन्स असफल रहे हैं।
    - वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया **मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम,** टीकाकरण सेवाओं की ट्रैकिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त करता है।

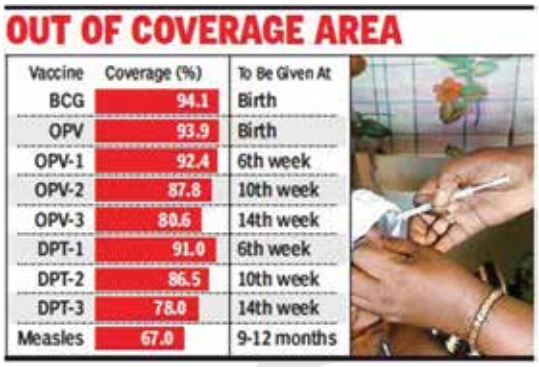

अन्य सुर्खियाँ

भारतीय नौसेना द्वारा दक्षिणी चीन सागर में युद्धपोत तैनात किए गए {Indian Navy deployed warship in South China Sea (SCS)}	○ यह तैनाती **गालवान घाटी में हिंसक विवाद के पश्चात की गई है।** ➢ **SCS की सीमाएं अग्रलिखित देशों के साथ संलग्न हैं यथा:** चीन, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम। ➢ चीन द्वारा इस **क्षेत्र में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की उपस्थिति पर आपत्ति व्यक्त की गई है।** ➢ भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकट **मलक्का जलसंधि (Malacca Strait) में चीन की नौसेना की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए अपने अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों को तैनात किया है।** ज्ञातव्य है कि चीन की नौसेना इसी मार्ग से हिंद महासागर में प्रवेश करती है।
केंद्र द्वारा राज्यों को राशन कार्ड के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है {States asked to identify persons with disabilities (PwD) for ration cards}	○ केंद्र ने **राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 {National Food Security Act (NFSA), 2013} के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) की पहचान करने और वंचित लोगों को राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है। ➢ NFSA के तहत, राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश अधिमान्य परिवारों की पहचान करने और उनके वास्तविक अभिनिर्धारण के लिए मानदंड विकसित करने हेतु उत्तरदायी हैं। ○ **NFSA के अंतर्गत 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50% शहरी जनसंख्या को समाहित किया गया है।** ➢ क्रमशः ग्रामीण/शहरी आबादी का 75% और 50% का यह कवरेज अखिल भारतीय स्तर पर किया गया है, जिसके तदनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए राज्यवार कवरेज का निर्धारण किया गया है।
रोल ऑन रोल ऑफ (रो–रो) ट्रेन सेवाएं {Roll On Roll Off (RORO) train services}	○ **पहली बार नेलमंगला (बेंगलुरु के निकट) से बेल (सोलापुर के समीप) तक दक्षिण पश्चिम रेलवे की रो–रो सेवा की शुरूआत की गई है।** ➢ भारतीय रेलवे में रो–रो ट्रेन सेवाओं को प्रथम बार वर्ष 1999 में कोंकण रेलवे द्वारा प्रारंभ किया गया था। ○ रोल ऑन रोल ऑफ (रो–रो) विभिन्न वस्तुओं से भरे सड़क पर गमन करने वाले वाहनों को खुले समतल रेलवे वैगनों पर ले जाने की एक अवधारणा है। ○ **रो–रो सेवा के लाभ:** इससे माल और आवश्यक वस्तुओं की तीव्र आवाजाही सुनिश्चित होगी; ट्रकों के गंतव्य स्थल तक पहुंचने में लगने वाले समय में कमी आएगी; इससे सड़कों पर भीड़ कम होगी; कीमती ईंधन की बचत होगी और अल्प कार्बन उत्सर्जन होगा।
हैंगनबर्ग संकट (Hangenberg crisis)	○ पृथ्वी को कम से कम 300,000 वर्षों तक अस्तित्वमान रह सकने वाली **प्रजातियों** (लगभग 359 मिलियन वर्ष पूर्व) की विविधता **की अत्यधिक क्षति हुई** है। ○ माना जाता है कि यह घटना **दीर्घावधि तक स्थायी रही ओज़ोन क्षति के कारण हुई है,** क्योंकि ओज़ोन की कमी के कारण सूर्य की पराबैंगनी (ultraviolet radiation: UV) विकिरण को पृथ्वी की भू–सतह तक पहुंचने और जीवन को क्षति पहुंचाने में सहायता प्राप्त होती है। ○ इस घटना को **हैंगनबर्ग संकट** कहा जाता था।
पेंटानल, ब्राजील (Pantanal, Brazil)	○ पेंटानल **विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि (वेटलैंड) है। यह ब्राज़ील में 150,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है** तथा साथ ही यह बोलिविया एवं पराग्वे तक भी विस्तारित है। ○ यह आर्द्रभूमि जल रही है तथा इसका कारण यह है कि आर्द्र मौसम के दौरान बाढ़ के दलदली जल के नीचे दबी वनस्पतियां सूख गई हैं, क्योंकि तालाबों एवं झीलों का जल वाष्पित हो गया है, जिससे भौम ज्वलनशील निक्षेप ही शेष रह गए हैं।
एंड्रोमेडा आकाशगंगा (Andromeda galaxy)	○ एंड्रोमेडा आकाशगंगा, जिसे मेसियर 31 (Messier 31: M 31) के रूप में भी जाना जाता है तथा जो संभवतः 1 ट्रिलियन तारों से युक्त सर्पिलाकार और **मिल्की वे (Milky Way) के आकार से तुलनीय आकाशगंगा है।** ➢ यह मिल्की वे के निकट (लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर) अवस्थित सबसे बड़ी आकाशगंगा है। ○ हाल ही में, नासा **(NASA) के हबल स्पेस टेलीस्कोप (Hubble Space Telescope) ने एंड्रोमेडा आकाशगंगा के आसपास गैस के विशाल आवरण (जिसे प्रभामंडल कहा गया है) का मानचित्रण किया है।** ➢ यह प्रभामंडल (halo) आकाशगंगा से 1.3 मिलियन प्रकाश वर्ष (मिल्की वे से लगभग आधी दूरी) तक विस्तृत है। इसका आशय यह है कि एंड्रोमेडा का प्रभामंडल पहले से ही मिल्की वे के प्रभामंडल से टकरा रहा है।
क्वकज़ 2020 (Kavkaz 2020)	○ भारत, कोविड–19 महामारी के कारण **उत्पन्न रसद कठिनाइयों के तहत रूस में आयोजित हो रहे बहु–राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास क्वकज़ में भाग नहीं लेगा।** ○ यह रूसी सामरिक कमान और सैन्य कार्मिक अभ्यास है। इस अभ्यास में चीन व पाकिस्तान सहित **20 देश भाग ले रहे हैं।**
तेलुगु भाषा दिवस (Telugu Language Day)	○ इसका आयोजन **गिडुगु वेंकट राममूर्ति** (29 अगस्त) की जयंती पर किया जाता है। इन्होंने तेलुगु भाषा के विकास और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए अथक प्रयास किया था। ○ तेलुगु भाषा भारतीय संविधान की **8वीं अनुसूची** में समाविष्ट भाषाओं और साथ ही भारत की 6 **शास्त्रीय भाषाओं में से भी एक है।** ➢ **अन्य शास्त्रीय भाषाएँ हैं:** तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और ओडिया।